संख्या : 955 /62-2-2016-2/2(10)2012

प्रेषक,

डा0प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2   लखनऊ : दिनांक :22 मार्च 2016

विषयः-जिला योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त श्रेणी के सामान्य /अनुसूचितजाति/जनजाति के कृषकों हेतु संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना में एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम की स्थापना करने पर अनुदान दिये जाने की प्रकिया का निर्धारण।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-4408/62-2-2016-2/2 (10)/2012 दिनांक 17 जनवरी 2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी में कृषकों के बोरिंग एवं पम्पसेट पर वर्तमान में अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत लाभार्थियों को 30 से 60 मी0 एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 3000.00 का अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में कृषकों द्वारा एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम की स्थापना किये जाने पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था अनुमन्य की जा रही हैः-

1. निःशुल्क बोरिंग के कुल लक्ष्य के 25 प्रतिशत निःशुल्क बोरिंग पर जल वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आई0एस0आई मार्क (सहज संयोजी पालीएथिलिन पाइप I.S.Code14151पार्ट.।।/2008यथासंशोधित) एच0डी0पी0ई0 पाइप मय फिटिंग का प्रयोग किया जायेगा। एच0डी0पी0ई0 पाइप का नामिनल व्यास 90 एमएम अथवा 110 एमएम होगा तथा फिटिंग के रूप में एक पम्प कनेक्टिंग निपिल, एक बेन्ड, एक टी तथा एक इण्ड कैप एक सेट में अनुमन्य होगा।

CE-2745
24/03/2016

22/3/2016
A.K5272

2. शासनादेश संख्या-4408/62-2-2016-2/2(10)/2012 दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा निर्गत शेष शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : /62-2-2012तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव,मा0 मुख्य मंत्री,उत्तर प्रदेश शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव,वित्त/नियोजन/राजस्व/कर एवं निबन्धन/समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
5- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
6- राहत आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन।
7- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
8- प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,लखनऊ।
9- निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,उत्तर प्रदेश।
11- निदेशक,लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग,बी0के0टी0,लखनऊ।
12- समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त,उत्तर प्रदेश।
13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश।
14- उपनिदेशक,साँख्यिकीय सेल,लघु सिंचाई विभाग,लखनऊ।
15- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
16- समस्त जिला प्रबन्धक,उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
17- समस्त खण्ड विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
18- अधीक्षण अभियन्ता/ विषय विशेषज्ञ,लघु सिंचाई प्रकोष्ठ,लखनऊ।
19- अधिशासी अभियन्ता,आपूर्तिखण्ड,लघु सिंचाई विभाग,लखनऊ।
20- निदेशक,संस्थागत वित्त निदेशालय,उत्तर प्रदेश स्टेशन रोड,लखनऊ।
21- वित्त (व्यय नियंत्रण),अनुभाग-2,उत्तर प्रदेश शासन।
22- गार्ड फाइल, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2,उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

A .K5273